अष्टादश बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–104(3) के अन्तर्गत दिनांक- 24.07.2026 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	मनीष कुमार, स०वि०स०	बिहार राज्य के विभिन्न नियुक्ति आयोगों द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित 16 प्रतिशत आरक्षण के विरूद्ध शून्य या अत्यंत न्यूनतम रिक्तियां दर्शाया गया है। उदाहरण स्वरूप प्रवर्तन अवर निरीक्षक (33 पद) में SC–0, कनीय अभियंता (असैनिक) जल संसाधन विभाग (558 पद) में SC–10 (1.7%) योजना सहायक (88 पद) में SC-0, अंकेक्षण सहयोग समितियाँ (198 पद) में SC–09 (4%) दारोगा (1799 पद) में SC–210 (11%) है। यह स्थिति प्रायः सभी विज्ञापनों की होती है। इसका मूल कारण कार्यकारी व्यवस्था नियमावली–2023 के तहत SC/ST के पद को freeze करना है। अतः freeze पदों पर कर्मियों को उच्चतर प्रभार देने तथा भर्तीयों में SC/ST के समुचित (16+1%)=17% प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	सामान्य प्रशासन विभाग

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	जिवेश कुमार, स०वि०स०	राज्य सरकार के भू-राजस्व अभिलेखों, विभिन्न शासकीय अभिलेखों, जिला गजेटियर एवं अन्य राजकीय अभिलेखों में संबंधित जाति का नाम "भूमिहार ब्राह्मण" अंकित है, जबकि वर्तमान में बिहार सरकार की जाति सूची एवं जाति प्रमाण-पत्रों में "भूमिहार" अंकित किए जाने के कारण अभिलेखीय विसंगति एवं भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में संबंधित व्यक्तियों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा राज्य सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। वर्ष 1931 के जनगणना रिपोर्ट एवं राजस्व विभाग के तमाम भू-अभिलेख दिया गया है जिसमें जाति का नाम भूमिहार-ब्राह्मण अंकित है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र संख्या-11/ आ०म०ई०क०-04/2026 सा.प्र. 1123 दिनांक-23.06.2026 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि "भूमिहार" के स्थान पर "भूमिहार ब्राह्मण" अंकित किए जाने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है। अतः बिहार सरकार की जाति सूची एवं जाति प्रमाण-पत्रों में जाति के नाम मे एकरूपता सुनिश्चित करने, विचाराधीन प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने तथा आवश्यक संशोधन कर संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	सामान्य प्रशासन विभाग

पूनम सिन्हा
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-23/2026 1027 /वि०स०, पटना, दिनांक- 23 जुलाई 2026 ई०।

प्रति :- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/26
(अमितेष रंजन)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-23/2026 1027 /वि०स०, पटना, दिनांक-23 जुलाई 2026 ई०।

प्रति :- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/माननीय उप मुख्यमंत्रीगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रीगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/26
(अमितेष रंजन)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-23/2026 1027 /वि०स०, पटना, दिनांक-23 जुलाई 2026 ई०।

प्रति :- मुख्य सचिव, बिहार/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार/ सचिव, बिहार विधान परिषद्/ महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय/संसदीय कार्य विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/26
(अमितेष रंजन)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-23/2026 1027 /वि०स०, पटना, दिनांक-23 जुलाई 2026 ई०।

प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

23/7/26
(अमितेष रंजन)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।